न्याय निर्णयन अधिकारी एंव अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 11/2015

प्रार्थी	बनाम्	अप्रार्थीगण
भूराराम गोदारा खाध सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी,बाड़मेर		1.नरसिंगाराम पुत्र जोराजी जाति देवासी निवासी तबा का धोरा गुड़ामालानी (मालिक फर्म देवासी किराणा स्टोर गुड़ामालानी) 2.सोहनलाल, सोल प्रोप्राईटर मैं. राम नारायण लालचन्द बी.6 कृषि मण्डी बाड़मेर 3.शंकरलाल सोनी, प्रोप्राईटर 1014 मिश्रा राजा जी का रास्ता, चांदपोल बाजार जयपुर 4.संदीप गुलाटी पुत्र लेट आर एन गुलाटी, दुलबचेरा करीनगंज (आसाम (लाईसेंस धारी) 5.रोहित बीजोरिया पुत्र के.के. बीजोरिया, डायरेक्टर (मैं. विष्णू टी एण्ड इण्डिया प्रा.लि. दुलबचेरा टी स्टेट जिला करीनगंज आसाम) 6.के.के.बीजोरिया पुत्र लेट मदन लाल बीजोरिया डायरेक्टर (मैं. विष्णू टी एण्ड इण्डिया प्रा.लि. दुलबचेरा टी स्टेट जिला करीनगंज आसाम) 7. आदित्य बीजोरिया पुत्र के.के. बीजोरिया, डायरेक्टर (मैं. विष्णू टी एण्ड इण्डिया प्रा.लि. दुलबचेरा टी स्टेट जिला करीनगंज आसाम)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम,2006 व नियम 2011

उपस्थितः–1. सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाड़मेर
2. श्री अमृतलाल जैन अधिवक्ता अप्रार्थी सं.01 से 03 की ओर से।
3. .अप्रार्थी संख्या 04 से 07 एक तरफा।

निर्णय दिनांक 23.05.2016

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 3.5.2013 को प्रार्थी खाध सुरक्षा अधिकारी द्वारा दौराने गश्त जरिये सरकारी वाहन द्वारा मैसर्स देवासी किराणा स्टोर गुड़ामालानी पर प्रातः 10.30

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

पहुॅचने पर दुकान पर एक व्यक्ति बैठा मिला। जिसका नाम पता पूछने पर अपना नाम नरसिंगाराम पुत्र जोराजी जाति देवासी निवासी तबा का धोरा गुड़ामालानी बताया। रूबरू मौतबिरान की उपस्थिति में मैसर्स देवासी किराणा स्टोर गुड़ामालानी का निरीक्षण करने पर दुकान में अन्य खाध सामग्री के साथ चाय ब्राण्ड दुलबचेरा (250 ग्राम पैकिंग) 30 पैकेट में पाई गई। जिसमें मिलावट होने का संदेह होने पर 250–250 ग्राम के पैकिंग में से 250–250 ग्राम कुल आठ पैकेट सीलबंद पीस कय किये जिसकी कीमत मौके पर मालिक विक्रेता को 440/– रूपये अदा की गयी। इन पैकेटो को प्लास्टिक कन्टेनर में डालकर उपर एयरटाईट ढक्कन लगाकर बंद किया गया तथा इसके उपर लेबल चिपकाया जिस पर नमूने का विवरण अंकित कर गवाहो व मालिक विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये एंव स्लीप कोड एंव सिरियल नम्बर पी 264 चिपकाकर चिपडी लगाकर नियमानुसार सीलबंद किया गया इसके उपर लेबल चिपका कर नमूने का विवरण अंकित किए,प्रार्थी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गय। प्रत्येक नमूने को मोटे व खाखी कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूने पर विवरण अंकित कर प्रार्थी व गवाहों ने पेपर स्लीप को क्रॉस करते हुए हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 05 ए भरकर गवाहों एंव प्रार्थी के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त कार्यवाही रूबरू दो गवाहो के की गई तथा चारो नमूनो को अपने कब्जे में लिया व मौके पर गवाहों की उपस्थिति में मौका फर्द तैयार की गई। सभी कार्यवाही करने के बाद कार्यालय आकर नमूना पी–264 जॉच हेतु खाध सुरक्षा लैब जोधपुर को भिजवाने हेतु फार्म नम्बर 06 की कुल सात प्रतियो पर नमूना सील जिसका प्रयोग सेंपल लेते वक्त नमूना सील करने में किया गया। एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्राससील से सील किया जिसका प्रयोग चारो नमूनो को सीलबन्द करने में किया गया एंव आउटडोर कवर कर नमूना विवरण अंकित किया गया एंव एक लिफाफे में फार्म नम्बर 06 की एक प्रति रखकर खाध सुरक्षा लैब जोधपुर का पता अंकित कर ब्राससील द्वारा लिफाफे को सील बन्द किया गया। नमूने का शेष दूसरा, तीसरा व चौथा भाग मय फार्म नम्बर 06 की एक प्रति आउटर कवर में ब्राससील से सील कर सील अवस्था में अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाड़मेर को भिजवाने जाने का उल्लेख किया गया। प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि खाध पेय पदार्थ चाय ब्रांड दुलबचेरा (250 ग्राम) नमूना पी–264 की जॉच रिपोर्ट खाद्य सुरक्षा जेब जोधुपर द्वारा क्रमांक एलएस/192/एक्ट/2013/201 दिनांक 20.5.2013 से अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी,बाड़मेर को भेजी, जॉच रिपोर्ट का अवलोकन करने पर नमूना जॉच में मिसब्रान्ड स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाध पेय पदार्थ चाय का विक्रय करके खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने के आधार पर प्रार्थी खाध सुरक्षा अधिकारी ने समुचित

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाध सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति,कार्यक्षेत्र का नोटिफिकेशन एंव संशोधित नोटिफिकेशन की प्रति,फार्म नम्बर 5 ए,नमूना खरीद रसीद, मौका फर्द, नमूना पी 264 जॉच रिपोर्ट अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

2. परिवाद प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किया। अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की ओर से श्री अमृतलाल जैन अधिवक्ता उपस्थित हुए। दीगर अप्रार्थी संख्या 04 से 07 जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब होने के उपरान्त उपस्थित नहीं हुए।

3. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। प्रार्थी खाध सुरक्षा अधिकारी का यह तर्क है कि दिनांक 3.5.2013 को गश्त करते हुए मैसर्स देवासी किराणा स्टोर गुड़ामालानी पहुँचने पर दुकान का निरीक्षण करने पर दुकान में अन्य किराणा सामग्री के साथ चाय ब्रान्ड दुलबचेरा (250 ग्राम पैकिंग) 30 पैकेट मे पाई गई। उक्त चाय में मिलावट होने का संदेह होने पर उक्त चाय का नियमानुसार नमूना लिया गया। जॉच के दौरान लिया गया चाय ब्रान्ड दुलबचेरा (250 ग्राम) पी–264 नमूना जॉच में चाय मिसब्रान्ड स्तर का होना पाया गया, जो खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम की धारा 52 का उल्लंघन है। इसलिये अप्रार्थी पर जुर्माना आरोपित किया जाए।

4. अप्रार्थी संख्या 01 से 03 द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार किया एवं पुर्नरावृति नहीं करने का निवेदन करते हुए प्रस्तुत परिवाद निरस्त फरमाया जावे।

5. हमने दोनो पक्षो की बहस सुनी। परिवाद में वर्णित तथ्यों एंव इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाध विश्लेषक जोधपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/192/2013/201 दिनांक 20.5.2013 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बेची जा रही चाय का सेंपल नमूना जॉच रिपोर्ट में चाय मिसब्राण्ड का होना पाया गया है जिसके लिये अभियुक्त अप्रार्थीगण दोषी प्रतीत होता है।

6. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी अभियुक्त नरसिंगाराम, सोहनलाल, शंकरलाल सोनी, संदीप गुलाटी, रोहित बीजोरिया, के.के. बीजोरिया एवं आदित्य बीजोरिया द्वारा खाध सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(11)के तहत पाये गये अवमानक पदार्थ विक्रय करने का दोषी है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान है। अतः खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (11) का उल्लंघन करने एंव अपराध कारित होने के फलस्वरूप एंव लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 52 में अभियुक्त नरसिंगाराम, सोहनलाल, शंकरलाल सोनी, संदीप गुलाटी,

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

रोहित बीजोरिया, के.के. बीजोरिया एवं आदित्य बीजोरिया प्रत्येक पर 8,000/– अक्षरे रूपये आठ हजार मात्र शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उपरोक्त शास्ति की राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय तारीख 23.05.2016 से एक माह के अंदर– अंदर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें।

(ओ0पी0बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
बाडमेर

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 23.05.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
बाडमेर